



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80]
No. 80]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 8, 1997/माघ 19, 1918
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 8, 1997/MAGHA 19, 1918

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1997

का.आ. 98 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजनों के लिए विक्रय किए जाने वाले, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किस्मों के और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के बीजों की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, बीजों की उक्त किस्मों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्मों घोषित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	किस्म	प्रकार
1	2	3
1.	पूसा उत्तम (डी. बी. आर.-31)	बैंगन
2.	पूसा उपकार (डी. बी. आर.-8)	बैंगन
3.	पूसा बिन्दू (डी. बी. एस. आर.-44)	बैंगन
4.	पूसा दीप्ति (कट-1)	शिमला मिर्च (संकर)
5.	विवेक-6 (बी. एल.-6)	सब्जी मटर
6.	आर. एम.-43	खरबूजा
7.	हिसार उन्नत (एच. आर. बी.-55)	भिन्डी
8.	पूसा सुप्रिया (सेल-99)	चिनी तोरी

1	2	3
9.	पूसा दिव्या (कट-4)	टमाटर (संकर)
10.	पूसा हाइब्रिड-4 (डी.टी. एच.-4)	टमाटर (संकर)

[फा. सं. 17-55/95-एस. डी. 4]

एन. रामा राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 1997

S.O. 98(E).— In the exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declared the said varieties of seeds to be the notified varieties, for a period of fifteen years from the date of publication of this notification in the official Gazette, for the whole of India for the purpose of the said Act, namely :—

TABLE

Serial number	Variety	Kind
1	2	3
1.	Pusa Uttam (DBR-31)	Brinjal ✓
2.	Pusa Upkar (DBR-8)	Brinjal ✓
3.	Pusa Bindu (DBSR-44)	Brinjal ✓
4.	Pusa Deepti (Kt-1)	Capsicum (Hybrid) ✓
5.	Vivek-6 (VL-6)	Garden Pea ✓
6.	RM-43	Muskmelon ✓
7.	Hissar Unnat (HRB-55)	Okra ✓
8.	Pusa Supriya (Sel-99)	Sponge Gourd ✓
9.	Pusa Divya (Kt-4)	Tomato (Hybrid) ✓
10.	Pusa Hybrid-4 (DTH-4)	Tomato (Hybrid) ✓

[F. No. 17-55/95-SD. IV.]

N. RAMA RAO, Jt. Secy.